बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (चपरासी) की भर्ती

BOB/HRM/REC/ADVT/2025/05

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ: 03.05.2025	*आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख: 23.05.2025*

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें

1.	अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अधिक जानकारी और अपडेट के लिए नियमित रुप से बैंक की वेबसाइट (वर्तमान अवसर) देखें। बुलावा पत्र/ सूचना, जहाँ भी आवश्यक हो, केवल ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। सभी संशोधन/ शुद्धिपत्र/ बदलाव (यदि कोई हो) केवल बैंक की वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
2.	सभी पत्राचार केवल अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल आईडी पर ही किए जाएंगे तथा बुलावा पत्र/ सूचना आदि जैसे संदेश प्राप्त करने के लिए इसे सक्रिय रखना होगा।
3.	आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख से पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए पावती संख्या नोट कर लें और आवेदन पत्र की एक प्रति रखें।
4.	आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता की तारीख तक उक्त पद हेतु पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बिना शॉर्ट-लिस्टिंग / चयन पद्धति पूरी तरह से अनंतिम होगी। उम्मीदवारी बैंक द्वारा बुलाए जाने पर विवरण/ दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी।
5.	अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि बैंक में उक्त पद पर नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट पात्रता मानदंड ही बुनियादी मानदंड हैं। हालाँकि, केवल आवेदन करने, ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने और बैंक में प्रावधिक रुप से आबंटित होने का मतलब यह नहीं है कि अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से बैंक में रोजगार के लिए पात्र होगा।
6.	कृपया ध्यान दें कि यहाँ दिये गए पात्रता मानदंड ही पद के लिए आवेदन करने हेतु बुनियादी मानदंड हैं। आईबीपीएस/ बैंक द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में शामिल होने के समय अभ्यर्थियों को अपनी पहचान और पात्रता के समर्थन में श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित, आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और एक फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाया गया है।
7.	कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर श्रेणी में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और परिणाम ऑनलाइन आवेदन में दर्शाई गई श्रेणी को ध्यान में रखते हुए संसाधित किया जाएगा, जो इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन होगा। केवल ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन करना/ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना और/या बाद की प्रक्रियाओं में शॉर्टलिस्ट होना यह नहीं दर्शाता है कि अभ्यर्थी को बैंक में नौकरी मिल ही जाएगी। जिस श्रेणी में अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी के तहत उम्मीदवारी पर विचार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. राज्यवार रिक्तियों और पदों में आरक्षण का विवरण (जहां लागू हो):

राज्य	रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित	दिव्यांग विभाग				भूतपूर्व सैनिक	
							ओसी	एचआई	वीआई	आईडी	ईएक्सएस	डीआईएसएक्सएस/ डीएक्सएस
आंध्र प्रदेश	22	3	1	5	2	11	0	0	0	0	5	0
असम	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
बिहार	23	3	0	6	2	12	0	0	0	0	4	1
चंडीगढ़ (यूटी)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	12	1	3	0	1	7	0	0	0	0	2	0
दादर और नगर हवेली (यूटी)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव (यूटी)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (यूटी)	10	1	0	2	1	6	0	0	0	0	2	0
गोवा	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
गुजरात	80	5	12	21	8	34	1	1	1	0	16	3
हरियाणा	11	2	0	2	1	6	0	0	0	0	2	0
हिमाचल प्रदेश	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
झारखंड	10	1	2	1	1	5	0	0	0	0	2	0
कर्नाटक	31	4	2	8	3	14	1	0	0	0	6	1
केरल	19	1	0	5	1	12	0	0	0	0	4	0
मध्य प्रदेश	16	2	3	2	1	8	0	0	0	0	3	0
महाराष्ट्र	29	2	2	7	2	16	1	0	0	0	6	1
मणिपुर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	17	2	3	2	1	9	0	0	0	0	4	0

पंजाब	14	4	0	2	1	7	0	0	0	0	3	0
राजस्थान	46	7	5	9	4	21	1	0	0	0	9	2
तमिलनाडु	24	4	0	6	2	12	0	0	0	0	4	1
तेलंगाना	13	2	0	3	1	7	0	0	0	0	3	0
उत्तर प्रदेश	83	17	0	22	8	36	1	1	1	0	17	3
उत्तराखंड	10	1	0	1	1	7	0	0	0	0	2	0
पश्चिम बंगाल	14	3	0	3	1	7	0	0	0	0	3	0
कुल	**500**	**65**	**33**	**108**	**42**	**252**	**5**	**2**	**2**	**0**	**97**	**12**

एससी: अनुसूचित जाति, एसटी- अनुसूचित जनजाति, ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग, यूआर- अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूडी- दिव्यांग व्यक्ति, ओसी- अस्थि विकलांग, एचआई- श्रवण बाधित, वीआई- दृष्टि बाधित, आईडी- बौद्धिक दिव्यांगता, ईएक्सएस- पूर्व सैनिक, डीआईएस-ईएक्सएस- दिव्यांग पूर्व सैनिक और डीएक्सएस- युद्ध कार्रवाई में मारे गए पूर्व सैनिकों के आश्रित।

2. <u>पद का विवरण एवं पात्रता मानदंड</u> (01.05.2025 की स्थिति में):

पद	रिक्तियों की संख्या	आयु (वर्षों में)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
कार्यालय सहायक (चपरासी)	500	न्यूनतम: 18 अधिकतम: 26	1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (एस.एस.सी./ मैट्रिकुलेशन) 2. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा में प्रवीणता (अर्थात् अभ्यर्थी को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होना चाहिए) जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है।

3. <u>भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:</u>

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां – कार्यालय सहायक (चपरासी)
अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग के सभी सामान्य एवं नियमित कर्तव्य जिनके निर्वहन के लिए कोई विशेष वेतन देय नहीं होगा।
समय-समय पर संशोधित द्विपक्षीय समझौते के अनुसार समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

4. <u>वेतनमान</u> (समय-समय पर संशोधित):

19500	665	22160	830	26310	990	30270	1170	33780	1345	37815
	4		5		4		3		3	

परिलब्धियां

चयनित अभ्यर्थी को मूल वेतन के अतिरिक्त, उद्योग-व्यापी लागू द्विपक्षीय समझौते और बैंक की नीतियों/ नियमों के अनुसार डीए, एचआरए, सीसीए, विशेष भत्ता, परिवहन भत्ता, विशेष वेतन, छुट्टी किराया रियायत, छुट्टी नकदीकरण, स्वयं एवं आश्रितों के लिए समूह चिकित्सा बीमा, चिकित्सा सहायता, ग्रेच्युटी, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, स्टाफ ओवरड्राफ्ट सुविधा, गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्टाफ कल्याण योजनाएं आदि का लाभ मिलेगा।

5. <u>पात्रता</u>

ए. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी को या तो i) भारत का नागरिक होना चाहिए या ii) नेपाल का नागरिक होना चाहिए या iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए या iv) तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो या v) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

iv) और (v) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन अंतिम चयन पर, नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही दिया जा सकता है।

बी. आयु (01.05.2025 तक)

न्यूनतम: 18 वर्ष अधिकतम: 26 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01.05.1999 से पहले और 01.05.2007 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। (दोनों तारीखों को शामिल करते हुए)

<u>ऊपरी आयु सीमा में छूट</u>

क्रम संख्या	वर्ग	आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 साल
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	"दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के तहत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति	10 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक	रक्षा बलों में दी गई सेवा की वास्तविक अवधि + 3 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 वर्ष), अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष के अधीन।
5	विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और न्यायिक रुप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है	सामान्य/ ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा में 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष तथा एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट।

टिप्पणी:

(i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर दी जाएगी, शेष श्रेणियों में से केवल एक के लिए, जिसके लिए आयु में छूट दी गई है, जैसा कि ऊपर बिन्दु संख्या 5 -बी में उल्लेख किया गया है ।

(ii) निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों और आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू है।

(iii) आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण/दस्तावेज सत्यापन के समय तथा आईबीपीएस/बैंक द्वारा अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा फोटो प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित न होने पर भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से वंचित किया जा सकता है। **<u>ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं । उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी चाहिए। अभ्यर्थी के पास</u> समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर - क्रीमी लेयर खंड के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए।**

(iv) केन्द्र सरकार के अधीन पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू निम्नलिखित नियम परीक्षा में बैठने वाले भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों पर भी लागू होंगे:

a. भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिन्होंने पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और 'डी' में रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी'/'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थी केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दूसरे अवसर पर आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

b. एक भूतपूर्व सैनिक जो अपनी पुनः नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में उसे दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद एक बार सिविल पक्ष में सरकारी नौकरी में नियोजित हो गया है, उसकी भूतपूर्व सैनिक स्थिति भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 14.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था. (आरक्षण) समय-समय पर संशोधित के अनुसार शासित होगी।

c. वे अभ्यर्थी जो अभी भी सशस्त्र बलों में हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक हैं, जिनकी विशिष्ट नियुक्ति अवधि (एसपीई) पूरी होने की तारीख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष अर्थात् 23.05.2026 को या उससे पहले पूरी हो गई है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

d. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद की नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। हालांकि, इस छूट का लाभ उठाने के लिए, भूतपूर्व सैनिक को जैसे ही वह किसी सिविल रोजगार में शामिल होता है, उसे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तारीखवार जानकारी के बारे में स्व-घोषणा/अंडरटेकिंग देनी चाहिए, जिसके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहां भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है।

सी. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। यह पद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित दिव्यांगता की निम्न श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया है ।

ए. <u>"ओसी" श्रेणी:</u>

किसी व्यक्ति की खुद की और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की बीमारी के परिणामस्वरुप

होती है, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग ठीक होना, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) शामिल है, जिसमें कोई भी संबंधित न्यूरोलॉजिकल / अंग विकार नहीं है। अस्थि विकलांग व्यक्ति लोकोमोटर विकलांगता के अंतर्गत आते हैं:

1. **"कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति"** का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है:
   a) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में भी संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;
   b) प्रकट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;
   c) अत्यधिक शारीरिक विकृति तथा अधिक आयु, जो उसे कोई लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है, तथा "कुष्ठ रोग ठीक हो जाना" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
2. **"सेरेब्रल पाल्सी"** का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;
3. **"बौनापन"** का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;
4. **"मांसपेशी डिस्ट्रॉफी"** का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को हिलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और मिसिंग जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह कंकाल की मांसपेशियों की बढ़ती हुई कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में कमी और मांसपेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है;
5. " **एसिड अटैक पीड़ित" से** तात्पर्य एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमले के कारण विकृत हुए व्यक्ति से है।

बी. <u>दृष्टि बाधित ("VI" श्रेणी):</u>

केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति, जो सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से पीड़ित हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

1. **अंधापन:**
   a) दृष्टि का पूर्ण अभाव; अथवा
   b) बेहतर संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम ; या
   c) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है। अथवा

2. **कम दृष्टि:**
   a) बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; दृष्टि की स्पष्टता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम हो या 3/60 तक हो या 10/200 (स्नेलन) तक हो, या
   b) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण बनाती है।

सी. <u>श्रवण बाधित ("एचआई" श्रेणी):</u>

1. बधिर: इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि हो।
2. सुनने में कठिनाई: इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता कम हो गई हो

डी. <u>"आईडी" श्रेणी:</u>

केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

1. **बौद्धिक विकलांगता।**
   a. **ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (ASD)** एक न्यूरो –डेवलपमेंटल स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अकसर असामान्य या रुढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।
   b. **"विशिष्ट अधिगम विकलांगता" (एसएलडी)** का अर्थ स्थितियों के एक विषम समूह से है, जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।
   c. **"मानसिक बीमारी" (एमआई)** का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक महत्वपूर्ण विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है, लेकिन इसमें रीटार्डेशन शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के विकास में रुकावट या अपूर्णता की स्थिति है, जो विशेष रुप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा चिह्नित है।
2. **"एकाधिक विकलांगता" से तात्पर्य खंड "** ए "; " बी "; " सी "; " डी (1)" के बीच एकाधिक विकलांगता से है ।

नोट: केवल बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क विकलांगता" का अर्थ है के 40% से अधिक निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले वे व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जिसे प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण-पत्र सत्यापन/पुनः सत्यापन के अधीन होगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है । अस्थायी विकलांगता वाले अभ्यर्थी के मामले में कोई छूट/आरक्षण लागू नहीं होगा।

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित अनुसार और वास्तविक रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

i. **<u>बेंचमार्क विकलांगता/निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए स्क्राइब का उपयोग करने संबंधी दिशानिर्देश।</u>**

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन मामले विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 16-110/2003-डीडी।।। दिनांक 26 फरवरी, 2013 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण एफ. सं. 3/2/2013-कल्याण दिनांक 26.04.2013, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018 और एफ. सं. 29-6/2019-डीडी।।। दिनांक 10.08.2022 के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के अधीन स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- अभ्यर्थी को अपने खर्च पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।
- ओएम-एफ संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार स्क्राइब की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के समय परिशिष्ट I के रूप में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी, जिसमें कहा गया हो कि संबंधित व्यक्ति के लिखने की सीमा है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय अपना प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा । स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक स्ट्रीम से हो सकता है। साथ ही, स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय परिशिष्ट II के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों को यह पुष्टि करते हुए एक उपयुक्त वचन देना होगा कि स्क्राइब ऊपर बताए गए स्क्राइब के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, अगर बाद में यह पता चलता है कि उसने कोई निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा नहीं किया है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, चाहे ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो।
- ऑनलाइन आवेदन के समय या परीक्षा के समय या किसी भी स्तर पर प्रस्तुत घोषणा पत्र में अभ्यर्थी/स्क्राइब के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी और स्क्राइब को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
- <u>जो अभ्यर्थी स्क्राइब का उपयोग करेंगे, उन्हें परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय या अन्यथा सलाह दी जाएगी।</u>
- समय के महत्व को देखते हुए, तथा चूंकि परीक्षा एक प्रतियोगी प्रकृति की है, अभ्यर्थी को बैंक के चिकित्सा अधिकारी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना होगा कि उसे लिखने के लिए एक स्क्राइब की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास लिखने के लिए शारीरिक सीमाएं हैं, जिसमें विकलांगता के कारण गति की कमी भी शामिल है, जैसा कि बेंचमार्क/निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा स्क्राइब की सेवाओं के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है।
- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त स्क्राइब उसी ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी <u>नहीं</u> होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की वर्तमान पद के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं और इसके लिए पात्र हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में हमेशा सावधानीपूर्वक इसका उल्लेख करना चाहिए। किसी भी बाद के अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।
- कार्यालय सहायक के लिए उल्लिखित प्रक्रिया के लिए एक स्क्राइब केवल एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसका उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्यालय सहायक के पद के लिए अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और स्क्राइब को भविष्य की बैंक परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों (ऑनलाइन पंजीकरण के समय) को ही ऐसी रियायतें दी जाएंगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, यदि अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतें नहीं दी जाएंगी।
- परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कर्मियों द्वारा यह रिपोर्ट की जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है। ऐसे मामलों में, अभ्यर्थी और स्क्राइब को सभी बैंक परीक्षाओं से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
- बैंक को यह अधिकार है कि वह भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों/स्क्राइब की सूची अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ उनकी जानकारी हेतु साझा कर सकता है।
- बैंक अभ्यर्थी/स्क्राइब का ऑनलाइन आधार सत्यापन भी कर सकते हैं।

ii. **<u>गति-संबंधी विकलांगता और मस्तिष्क पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश</u>**

गति-संबंधी विकलांगता और मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय या अन्यथा सलाह दी जाएगी, जहां प्रमुख (लेखन) अंग कार्य निष्पादन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है (न्यूनतम 40% हानि)।

iii. **<u>दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश</u>**

- दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40% से कम विकलांगता से ग्रस्त नहीं हैं) परीक्षण की विषय-वस्तु को बड़े अक्षरों में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय या परीक्षा के लिए अन्यथा सूचित समय के लिए पात्र होंगे।
- परीक्षण की विषय-वस्तु को आवर्धक फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा उन दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं होगी, जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेते हैं।

iv. **<u>बौद्धिक विकलांगता (आईडी) वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश</u>**

40% से अधिक बौद्धिक अक्षमता (ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी) वाले अभ्यर्थियों को, चाहे वे स्क्राइब की सेवाएं लें या नहीं, परीक्षा के प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

V. **<u>40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश।</u>**

- परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट से कम का प्रतिपूरक समय उन व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा जो स्क्राइब पाने के लिए पात्र हैं। यदि परीक्षा की अवधि एक घंटे से कम है, तो

प्रतिपूरक समय की अवधि आनुपातिक आधार पर दी जाएगी।

टिप्पणी:

(i) ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों (यदि कोई हो) के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।
(ii) यदि अभ्यर्थी के अंक/प्रदर्शन की वास्तविकता/वैधता के बारे में संदेह हो तो बैंक पुनः परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

डी. भूतपूर्व सैनिक (EXSM) की परिभाषा

(i) **भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएसएम):** केवल उन अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 36034/5/85 स्थापना (एससीटी) दिनांक 27.10.1986, समय-समय पर संशोधित, में निर्धारित संशोधित परिभाषा को पूरा करते हैं।

(ii) **विकलांग पूर्व सैनिक (डीआईएसएक्सएस):** वे पूर्व सैनिक जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा करते समय युद्ध या शांति काल में विकलांग हो गए थे, लेकिन उनकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण थी, उन्हें विकलांग पूर्व सैनिक माना जाएगा।

(iii) **युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रित (डीएक्सएस):** निम्नलिखित ऑपरेशनों में मारे गए सैनिकों को सैन्य सेवा के कारण युद्ध में मारे गए माना जाएगा (ए) युद्ध (बी) युद्ध जैसे ऑपरेशन या संघर्ष विराम रेखा पर पाकिस्तान के साथ या किसी अन्य देश में सीमा पर झड़पें (सी) एक उग्रवाद विरोधी वातावरण में सशस्त्र शत्रुओं के खिलाफ लड़ना जैसे : नागालैंड, मिज़ोरम, आदि। (डी) विदेश में शांति मिशन के साथ सेवा करना (ई) दुश्मन की खानों सहित बारूदी सुरंगों को बिछाना या हटाना और ऑपरेशन के समापन के एक महीने पहले और तीन महीने बाद बारूदी सुरंगों को हटानेका ऑपरेशन (एफ) वास्तविक ऑपरेशन के दौरान या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान फ्रॉस्टबाइट (जी) आंदोलनकारी अर्ध-सैन्य बल कर्मियों से निपटना (एच) श्रीलंका में ऑपरेशन के दौरान मारे गए आईपीकेएफ कार्मिक। युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण की रियायत का लाभ उठाने के उद्देश्य से परिवार के सदस्य में उनकी विधवा, बेटा, बेटी या उनके नजदीकी रिश्तेदार शामिल होंगे जो उनके परिवार का समर्थन करने के लिए सहमत हों और एक हलफनामा जिसमें कहा गया हो कि छूट का लाभ भूतपूर्व सैनिकों के एक आश्रित ने उठाया है या युद्ध में मारे गए सैनिकों के किसी भी आश्रित ने नहीं उठाया है, उसे ज्वाइनिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए ऊपरी आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता में छूट उपलब्ध नहीं है।

नोट: 1) (i) सशस्त्र बलों से सेवामुक्त/ सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रोफार्मा 'ए' के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, यदि उनके पास सेवामुक्ति प्रमाण पत्र/पुस्तिका नहीं है, (ii) अभ्यर्थी , जो अभी भी सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र (प्रोफार्मा 'बी') प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनकी नियुक्ति की विशिष्ट अवधि (एसपीई) पूरी होने की तारीख के साथ घोषणा पत्र (प्रोफार्मा 'सी') भी होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एसपीई 23.05.2026 को या उससे पहले पूरी हो गई है, वे ही इस भर्ती के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। उन्हें बैंक में शामिल होने के समय एक स्व-घोषणा के साथ कार्यमुक्ति पत्र भी जमा करना होगा कि वह भारत सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों के हकदार हैं, (iii) वे अभ्यर्थी , जिन्होंने अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि पहले ही पूरी कर ली है और विस्तारित कार्यभार पर हैं, उन्हें प्रोफार्मा 'डी' के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि चयनित होते हैं, तो उपरोक्त (ii) और (iii) में उल्लिखित ऐसे अभ्यर्थियों को 23.05.2026 को या उससे पहले मुक्त होकर बैंक में शामिल होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से शामिल होने के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

नोट: टेरिटोरियल सेना कार्मिकों को 15.11.1986 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

महत्वपूर्ण: परिभाषाओं, छूट आदि के बारे में सरकारी दिशा-निर्देश समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आवेदन जमा करने के समय सशस्त्र सेवाओं की किसी भी शाखा द्वारा नियोजित है, उसे भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है।

ई. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले व्यक्तियों और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडबल्यूएस के रूप में निर्धारित किया जाना है। आय में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय शामिल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या है, उन्हें ईडबल्यूएस के रूप में निर्धारित किए जाने से बाहर रखा जाएगा, परिवार की आय पर ध्यान दिये बिना:
   - (i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
   - (ii) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
   - (iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
   - (iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा।
3. ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र साथ में लाना आवश्यक होगा।

4. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।
5. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अनंतिम हैं और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।
नोट: ये दिशानिर्देश भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

एफ़. शैक्षणिक योग्यता :

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण/एसएससी/मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा होगी।

उक्त पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा में प्रवीणता (अभ्यर्थियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा पढ़ने/लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए) को प्राथमिकता दी जाएगी।

टिप्पणी:

a. **उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए और अंतिम परिणाम 01.05.2025 को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए।**

b. **आवेदन के समय/बैंक द्वारा मांगे जाने पर बोर्ड/विश्वविद्यालय/नियामक निकाय से प्राप्त उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। पात्रता के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी अंक-सूची/ अस्थायी प्रमाण-पत्र पर दर्शाई गई उत्तीर्णता तारीख होगी।**
यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है और वेब आधारित प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, तो बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी <u>मूल प्रमाण पत्र</u> , जिसमें उत्तीर्ण होने की तारीख ठीक से अंकित हो, सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य किया जाएगा।

c. **अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में निकटतम दो दशमलव तक की गणना करके शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत दर्शाना चाहिए। जहाँ सीजीपीए/ओजीपीए दिया जाता है, उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन में उसका उल्लेख करना चाहिए। यदि जॉइनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो अभ्यर्थी को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें बोर्ड/विश्वविद्यालय के मानदंडों के साथ-साथ ग्रेड को प्रतिशत में बदलने और मानदंडों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का उल्लेख हो।**

d. **<u>प्रतिशत की गणना</u> : अंकों का प्रतिशत, जब तक कि बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा उल्लेख न किया गया हो, सभी सेमेस्टर/वर्ष में सभी विषयों में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों को, ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना, सभी विषयों में कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके 100 से गुणा करके निकाला जाएगा। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां श्रेणी/ ग्रेड केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।**
<u>इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा अर्थात् 59.99% को 60% से कम माना जाएगा तथा 54.99% को 55% से कम माना जाएगा।</u>

कृपया ध्यान दें कि यहां निर्दिष्ट पात्रता मानदंड, पद के लिए आवेदन करने के लिए आधारभूत मानदंड हैं। अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय और/या बैंक द्वारा आवश्यक भर्ती प्रक्रिया के बाद के किसी भी चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए अनुसार अपनी पहचान और पात्रता के समर्थन में श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज़ों को मूल रूप में और उनकी एक फोटोकॉपी के साथ प्रस्तुत करना होगा। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और परिणाम ऑनलाइन आवेदन में इंगित की गई श्रेणी को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन। केवल उक्त पद के लिए आवेदन करना/ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना और/या बाद की प्रक्रियाओं में शॉर्टलिस्ट होना यह नहीं दर्शाता है कि अभ्यर्थी को बैंक में आवश्यक रूप से रोजगार की पेशकश की जाएगी। जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है, उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी के तहत उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जी. क्रेडिट हिस्ट्री

उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा हो और जॉइनिंग के समय उनका न्यूनतम सिबिल स्कोर 650 या उससे अधिक हो। न्यूनतम क्रेडिट स्कोर समय-समय पर संशोधित बैंक नीति के अनुसार होगा।

जिन अभ्यर्थियों का सिबिल स्टेटस जॉइनिंग की तारीख से पहले अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें या तो सिबिल स्टेटस अपडेट करवाना होगा या फिर ऋणदाता से अनापत्ति पत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा कि सिबिल में प्रतिकूल रुप से दर्शाए गए खातों के संबंध में कोई बकाया नहीं है, ऐसा न करने पर ऑफ़र लेटर वापस लिया जा सकता है/रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम विवेकाधिकार बैंक के पास रहता है।

नोट: जिन अभ्यर्थियों के पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें सिबिल स्थिति दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन करने के लिए सिबिल स्कोर की आवश्यकता कोई पूर्व शर्त नहीं है।

6. आवेदन शुल्क एवं सूचना शुल्क:

आवेदन शुल्क और सूचना शुल्क (केवल ऑनलाइन भुगतान) निम्नानुसार होंगे:

- सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए रु . 600/- + लागू कर + भुगतान गेटवे शुल्क
- अजा, अजजा, पीडब्ल्यूबीडी, ईएक्सएस, डीआईएसएक्सएस और महिला अभ्यर्थियों के लिए रु.100/- + लागू कर + भुगतान गेटवे शुल्क

आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी को वहन करना होगा।

7. पूर्व परीक्षा/भर्ती प्रशिक्षण :

बैंक अजा/अजजा/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन मोड में निःशुल्क परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। अजा/अजजा/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी से संबंधित अभ्यर्थी , जो परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन भरते समय संबंधित कॉलम में विवरण भरना चाहिए। इसके बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, किसी अन्य तरीके से किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाइन परीक्षा से पहले आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन में दिए गए उनके ईमेल पर सटीक तारीख, समय आदि के बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। पर्याप्त संख्या में अनुरोध प्राप्त होने पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। केवल परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने से, कोई भी अभ्यर्थी बैंक में चयनित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है।

8. पोस्टिंग का स्थान :

पोस्टिंग का स्थान समय-समय पर बैंक की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। अभ्यर्थियों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी कार्यालय/शाखा में पदस्थ किया जाएगा जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है।

9. परिवीक्षा अवधि :

चयनित अभ्यर्थी बैंक में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से **06 माह की सक्रिय सेवा अवधि के लिए** परिवीक्षा पर रहेगा तथा सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उसकी स्थायी नियुक्ति की जाएगी।

10. चयन प्रक्रिया :

- **चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा के बाद स्थानीय भाषा परीक्षा (भाषा प्रवीणता परीक्षा) शामिल हो सकती है, जिसमें उन्हें ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार भाग लेंगे।**
- **तथापि, यदि प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या अधिक/कम है, तो बैंक शॉर्टलिस्टिंग मानदंड बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने विवेक से, उपरोक्त पद के लिए बहुविकल्पीय/वर्णनात्मक/मनोवैज्ञानिक परीक्षण/समूह चर्चा या किसी अन्य चयन/शॉर्टलिस्टिंग पद्धति के संचालन पर विचार कर सकता है।**

10.1 ऑनलाइन टेस्ट की संरचना:

ऑनलाइन परीक्षा की संभावित संरचना इस प्रकार होगी:

अनुभाग	परीक्षण का नाम	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	परीक्षण का माध्यम	अवधि
1	अंग्रेजी भाषा का ज्ञान	25	25	अंग्रेज़ी	20 मिनट
2	सामान्य जागरुकता	25	25	अंग्रेजी/हिंदी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आधिकारिक भाषा	20 मिनट
3	प्राथमिक अंकगणित	25	25		20 मिनट
4	साइकोमेट्रिक टेस्ट (तर्क)	25	25		20 मिनट
	कुल	**100**	**100**		**80 मिनट**

- प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित (ऑनलाइन) परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम अंक (कट-ऑफ़) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, साथ ही आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने और रैंक में शामिल होने के लिए कुल 100 अंकों में से न्यूनतम अंक (कट-ऑफ़) प्राप्त करना होगा । हालाँकि, बैंक अपने विवेकानुसार न्यूनतम/अंक बदलने योग्यता मानदंड को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बैंक परीक्षा की संरचना को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें वर्णनात्मक परीक्षण/केस स्टडी को जोड़ना/ प्रतिस्थापित करना शामिल है, जिसकी सूचना बैंक की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा की तारीख शीघ्र ही सूचित की जाएगी । परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी, यदि कोई हो, एक सूचना पुस्तिका में दी जाएगी, जिसे अभ्यर्थियों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

अधीनस्थ संवर्ग में नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (चपरासी) के लिए परीक्षण के संस्करण (परीक्षा का माध्यम) और आवेदित राज्य के अनुसार स्थानीय भाषा की सूची निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परीक्षा का माध्यम	स्थानीय भाषा
1	आंध्र प्रदेश	अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु	तेलुगु, उर्दू
2	असम	अंग्रेजी, हिंदी और असमिया	असमिया, बंगाली, बोडो
3	बिहार	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी, उर्दू
4	चंडीगढ़	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी, पंजाबी
5	छत्तीसगढ	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी
6	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	अंग्रेज़ी। हिंदी, गुजराती, मराठी और कोंकणी	गुजराती, मराठी और कोंकणी
7	दिल्ली (एनसीटी)	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी
8	गोवा	अंग्रेजी, हिंदी और कोंकणी	कोंकणी
9	गुजरात	अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती	गुजराती
10	हरियाणा	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी, पंजाबी
11	हिमाचल प्रदेश	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी
12	जम्मू और कश्मीर	अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू	उर्दू, हिंदी
13	झारखंड	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी, संथाली
14	कर्नाटक	अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और कोंकणी	कन्नडा
15	केरल	अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम	मलयालम
16	मध्य प्रदेश	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी
17	महाराष्ट्र	अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कोंकणी	मराठी
18	मणिपुर	अंग्रेजी, हिंदी और मणिपुरी	मणिपुरी, अंग्रेजी
19	नागालैंड	अंग्रेजी और हिंदी	अंग्रेज़ी
20	ओडिशा	अंग्रेजी, हिंदी और ओड़िया	ओडिया
21	पंजाब	अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी	पंजाबी, हिंदी
22	राजस्थान	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी
23	तमिलनाडु	अंग्रेजी, हिंदी और तमिल	तामिल
24	तेलंगाना	अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और उर्दू	तेलुगु, उर्दू
25	उत्तर प्रदेश	अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू	हिंदी, उर्दू
26	उत्तराखंड	अंग्रेजी और हिंदी	हिंदी
27	पश्चिम बंगाल	अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली	बंगाली, नेपाली

ऑनलाइन आवेदन में, अभ्यर्थियों को ऊपर लागू परीक्षा का संस्करण (परीक्षा का माध्यम) दर्शाने का विकल्प दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा का माध्यम दर्शाने के इस विकल्प का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

1. **परीक्षा की संबंधित तारीख और सत्र के लिए वैध कॉल लेटर।**
2. **कॉल लेटर/ आवेदन पत्र पर दिए गए नाम के अनुसार मूल फोटो पहचान प्रमाण (जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है)**
3. **एक अतिरिक्त फोटो (जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया है)**

परीक्षा के लिए कॉल लेटर में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद देरी से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षण के आरंभ समय से पहले का है। यद्यपि ऑनलाइन टेस्ट की अवधि 80 मिनट है, लेकिन अभ्यर्थियों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे कि विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉगिन, निर्देश प्राप्ति आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित अधिक समय के लिए परीक्षा स्थल पर रहना पड़ सकता है।

कृपया ध्यान दें:

ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर परीक्षा स्थल पर ही लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों द्वारा इसे विधिवत प्रमाणित/मुहर लगाई जाएगी।

ऑनलाइन टेस्ट के दौरान स्क्राइब फॉर्म (जहां भी लागू हो) भी एकत्र किया जाएगा।

10.2 गलत उत्तर के लिए दंड:

सभी अनुभाग में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंकों का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न जिसका यदि अभ्यर्थी द्वारा दिया गया गलत उत्तर है, तो सही अंक प्राप्त करने हेतु उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 0.25 अंक दंड के रूप में काट लिए जाएंगे। यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है; तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

10.3 ऑनलाइन टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र या चयन की कोई अन्य विधि :

i. यह परीक्षा भारत के कई केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संभावित सूची नीचे दी गई है:

परीक्षा केंद्र					
अगरतला	देहरादून	इंदौर	लेह	पुदुचेरी	उदयपुर (राजस्थान)
अहमदाबाद/ गांधीनगर	धनबाद	जबलपुर	लखनऊ	पुणे	वडोदरा/ आणंद
आइज़ोल	हुबली / धारवाड़	जयपुर	लुधियाना	रायपुर	वेल्लोर
अंबाला	दीमापुर	जालंधर	मदुरै	राजकोट	विरुधुनगर
अमृतसर	फरीदाबाद	जम्मू	मंगलौर	रांची	विशाखापट्टनम
आसनसोल	फतेहगढ़ साहिब	जमशेदपुर	मेरठ	सलेम	
औरंगाबाद (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) संभाजी नगर)	गंगटोक	जोधपुर	मोहाली	शिलांग	
बद्दी	गाजियाबाद	कल्याणी	मुंबई/ नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर	शिमला	
बेंगलुरु	ग्रेटर नोएडा	कानपुर	मुजफ्फरपुर	सिलचर	
भागलपुर	गुंटूर/विजयवाड़ा	कारगिल	नागपुर	सिलीगुड़ी	
भोपाल	गुरुग्राम	करीमनगर	नाहरलगुन	सोलन	
भुवनेश्वर	गुवाहाटी	कोच्चि	नई दिल्ली/दिल्ली एनसीआर	श्रीनगर	
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	ग्वालियर	कोहिमा	पटियाला	सूरत	
बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)	कोलकाता	पटना	तिरुवनंतपुरम	
चेन्नई	हैदराबाद	कोझिकोड	पोर्ट ब्लेयर	तिरुचिरापल्ली	
दरभंगा	इम्फाल	कुरनूल	प्रयागराज	तिरुनेलवेली	

ii. परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. तथापि, बैंक अपने विवेकानुसार, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्र जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iv. बैंक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा कोई अन्य केंद्र आबंटित कर सकता है तथा अभ्यर्थी को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाहर भी परीक्षा केंद्र आबंटित किया जा सकता है, जिसके रिक्त पदों के लिए वह आवेदन कर रहा है।

v. अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिम एवं व्यय पर परीक्षा देनी होगी तथा बैंक किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

vi. परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार / दुर्व्यवहार करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है/इस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है तथा बैंक द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

10.4 कट-ऑफ़ स्कोर:

प्रत्येक अनुभाग में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे और ऑनलाइन टेस्ट में न्यूनतम कुल अंक भी प्राप्त करने होंगे। अभ्यर्थियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रिक्तियों की संख्या, ऑनलाइन टेस्ट में उनके द्वारा प्राप्त अंकों और प्रत्येक अनुभाग में कट-ऑफ़ और बैंक द्वारा तय किए गए कुल अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम चयन के लिए राज्यवार और श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ऑनलाइन

टेस्ट में प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची के लिए विचार किया जाएगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट ऑफ़ अंक (कट ऑफ़ प्वाइंट पर समान अंक) प्राप्त करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में रैंक दी जाएगी।

शॉर्टलिस्टिंग और अनंतिम चयन में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

11. अनंतिम चयन

ऑनलाइन परीक्षा के लिए आबंटित कुल अंक 100 हैं और स्थानीय भाषा की परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और बाद की अनंतिम चयन प्रक्रिया के लिए विचार किए जाने के लिए मेरिट में पर्याप्त रूप से उच्च स्थान पर होना चाहिए, साथ ही स्थानीय भाषा की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना चाहिए।, जिसका विवरण बाद में बैंक की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.bankofbaroda.co.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

आरक्षण नीति पर दिशा-निर्देश, भारत सरकार/अन्य द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देश, प्रशासनिक आवश्यकता आदि को वैध माना जाएगा। इस अधिसूचना में दी गई रिक्तियां सांकेतिक हैं। प्रक्रिया के अंत में रिपोर्ट की जाने वाली वास्तविक रिक्तियों के आधार पर अनंतिम चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अनंतिम चयन के लिए सांकेतिक रिक्तियों को अंतिम नहीं मानना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा पहले से उपलब्ध कराए गए या पंजीकृत डेटा में कोई और बदलाव संभव नहीं है।

आरक्षित वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी, जो सामान्य श्रेणी के लिए लागू मानदंडों के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के समकक्ष माना जाएगा। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित ऐसे स्वयं की योग्यता वाले अभ्यर्थी जो अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के तहत अनंतिम रूप से चयनित हैं, उन्हें आरक्षित पद के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। हालाँकि ऑनलाइन पंजीकरण में दर्ज उनकी मूल श्रेणी अपरिवर्तित रहेगी और उन्हें अनारक्षित श्रेणी के तहत उनके चयन के बावजूद उनके लिए लागू जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसे प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, प्रचलित प्रथा के अनुसार, जन्मतारीख के अनुसार योग्यता क्रम तय किया जाता है (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को आयु में कनिष्ठ अभ्यर्थी से पहले/ ऊपर रखा जाता है)।

अनंतिम चयन बैंक के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी और बैंक की संतुष्टि के लिए उनकी पहचान सत्यापन के अधीन है। यह रोजगार की पेशकश नहीं है। पात्रता मानदंडों के संबंध में दस्तावेजों का सत्यापन बैंक द्वारा किया जाएगा। बैंक अनंतिम रूप से आबंटित अभ्यर्थियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा (पढ़ना, लिखना और बोलना) में दक्षता का भी पता लगाएगा। बैंक इसकी कमी के कारण उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यहां बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो प्रक्रिया में उसकी उम्मीदवारी/अवसर रद्द कर दिया जाएगा।

इस विज्ञापन के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के निर्धारित प्रारूप, भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू प्रोफार्मा ए, बी, सी, डी संलग्न है। इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को केवल इन्हीं प्रारुपों में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

जॉइनिंग/दस्तावेज सत्यापन के लिए रिपोर्ट करते समय, अभ्यर्थी को बैंक द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के अलावा नीचे दिए गए वैध निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए, जिसके लिए अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से चुना गया है। वैध दस्तावेजों के अभाव में, अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। नीचे बताए गए सभी दस्तावेज/प्रमाणपत्र दिए गए निर्देशों के अनुसार बैंक में जमा किए जाने चाहिए।

12. आगे की चयन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो):

अभ्यर्थी की योग्यता और पहचान के समर्थन में **निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी स्वयं-सत्यापित फोटोकॉपी भी अनिवार्य रूप से जॉइनिंग /सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंक द्वारा बुलाए जाने पर जॉइनिंग/दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

i. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए ऑफ़र लेटर/ई-मेल/कॉल लेटर का प्रिंटआउट
ii. ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट
iii. जन्म तारीख का प्रमाण (सक्षम नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या एसएसएलसी / 10$^{वीं}$ कक्षा का प्रमाण पत्र DOB के साथ)
iv. फोटो पहचान प्रमाण जैसा कि बिंदु 13 में दर्शाया गया है।
v. अलग-अलग सेमेस्टर/वर्षवार मार्कशीट और प्रमाण पत्र जिसमें अंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र शामिल है। परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
vi. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। (***जैसा कि अनुलग्नक में संलग्न है)***
vii. ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है, जो भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है। गैर-क्रीमी लेयर खंड वाला ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, यदि मांगा जाता है तो ज्वाइनिंग की तारीख तक वैध होना चाहिए (विज्ञापन की तारीख से एक वर्ष के भीतर जारी किया गया)। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची / अधिसूचना के साथ अक्षरशः मेल खाना चाहिए।

viii. भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम/वर्तमान रैंक (मूलभूत और कार्यकारी) के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या डिस्चार्ज बुक की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जो लोग अभी भी रक्षा सेवा में हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वे 23.05.2026 को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त हो जाएंगे।

ix. ***ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।***

x. ***बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र ।***

xi. ***आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में प्रमाण पत्र , अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा, इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है और परिशिष्ट के रूप में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है।***

xii. ***यदि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन परीक्षा के समय किसी स्क्राइब की सेवाएं ली हैं तो उसे निर्धारित प्रारूप में स्क्राइब का विवरण भरना होगा।***

xiii. ***भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में पहले उल्लिखित प्रासंगिक पैराग्राफों में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।***

xiv. सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित) में सेवारत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा व्यय, यदि कोई हो, अन्यथा स्वीकार्य, का भुगतान नहीं किया जाएगा।

xv. "विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और अपने पति से कानूनी रुप से अलग रह चुकी महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है" खंड के अंतर्गत आयु में छूट के लिए पात्र व्यक्तियों को तलाक या न्यायिक पृथक्करण के समर्थन में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/दस्तावेज और एक शपथ पत्र/घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

xvi. घोषित कार्य अनुभव के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज, जिसमें नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, कार्यमुक्ति पत्र (जहां लागू हो) आदि शामिल हैं।

xvii. पात्रता के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़।

नोट: यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे बैंक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यभार ग्रहण/दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को कोई भी दस्तावेज सीधे बैंक को नहीं भेजना चाहिए।

13. पहचान सत्यापन

13.1 प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:

परीक्षा हॉल में, अभ्यर्थी को अपना फोटो पहचान पत्र (**कॉल लेटर पर लिखे नाम के समान**) जैसे कि पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस /मतदाता कार्ड/फोटो सहित बैंक पासबुक/ राजपत्रित अधिकारी/जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण/मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/ आधार कार्ड/फोटो सहित ई- आधार कार्ड/कर्मचारी पहचान पत्र की फोटोकॉपी के साथ कॉल लेटर को सत्यापन के लिए निरीक्षक के पास जमा करना होगा। एक अतिरिक्त फोटो (अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटो के समान) भी जमा करना होगा। अभ्यर्थी की पहचान कॉल लेटर, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेजों पर दिए गए विवरण के आधार पर सत्यापित की जाएगी। **यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।**

- इस प्रक्रिया के लिए राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी प्रवेश दिया जाएगा जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / अपना मूल विवाह प्रमाणपत्र / मूल शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें परिवर्तित नाम का उल्लेख होगा।
- बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

13.2 आईआरआईएस स्कैन/बायोमेट्रिक सत्यापन :

- प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में: फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक डेटा (दाहिने अंगूठे का निशान या अन्यथा) कैप्चर/सत्यापित किया जा सकता है। कैप्चर की गई फोटो का मिलान अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अपलोड की गई फोटो से किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन में अपलोड की गई फोटो से अपना रूप नहीं बदलना चाहिए। किसी भी अवसर पर बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान कैप्चर/सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर के संबंध में कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

  a)यदि उंगलियों पर कोटिंग हो (स्टैम्प्ड इंक/ मेहंदी /रंग आदि), तो उन्हें अच्छी तरह से धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा के दिन से पहले कोटिंग पूरी तरह से हट जाए।

  b) यदि उंगलियां गंदी या धूल भरी हों, तो फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उन्हें धोना और सुखाना सुनिश्चित करें।

  c)सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियाँ सूखी हों। अगर उंगलियाँ नम हैं, तो उन्हें पोंछकर सुखा लें।

  d) यदि परीक्षा में शामिल होने वाली मुख्य उंगली (दाहिना अंगूठा) घायल/ क्षतिग्रस्त हो तो तुरंत परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें।
- ऐसे मामलों में अन्य उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि की छाप ली जा सकती है।
- बायोमेट्रिक सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय, इसकी स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।

बायोमेट्रिक डेटा – कैप्चरिंग और सत्यापन:

कृपया ध्यान दें: बायोमेट्रिक डेटा / आईरिस स्कैन और फोटोग्राफ निम्नलिखित अवसरों पर कैप्चर / सत्यापित किया जाएगा -

➢ ऑनलाइन परीक्षा शुरु होने से पहले इसे कैप्चर कर लिया जाएगा

- ऑनलाइन परीक्षा के अंत में परीक्षा हॉल / लैब छोड़ने से पहले
- स्थानीय भाषा परीक्षण / दस्तावेज़ सत्यापन / कार्यभार ग्रहण करने के समय आदि।

13.3 **बैंक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों/स्क्राइब का ऑनलाइन आधार सत्यापन भी कर सकते हैं।**

नोट: अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र/कॉल लेटर पर दर्ज नाम के साथ मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा परीक्षा कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी विवाद से बचने के लिए, आवेदन के समय दर्ज किया गया नाम अधिकृत/वैध पहचान प्रमाण के समान होना चाहिए।

13.4 सामाजिक दूरी के साथ परीक्षा संचालन से संबंधित निर्देश

1. अभ्यर्थियों को कॉल लेटर में उल्लिखित समय के अनुसार ही परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।
2. अभ्यर्थियों के लिए कार्यक्रम स्थल में प्रवेश की अनुमति वाली वस्तुएं
   अभ्यर्थियों को अपने साथ केवल कुछ ही वस्तुएं कार्यक्रम स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी।
   a. मास्क (मास्क पहनना अनिवार्य है)
   b. दस्ताने
   c. व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल
   d. व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइज़र (50 मिली)
   e. एक साधारण कलम और नीली स्याही वाला स्टाम्प पैड
   f. परीक्षा से संबंधित दस्तावेज (फोटो, कॉल लेटर, मूल पहचान पत्र, पहचान पत्र की फोटोकॉपी, आदि)
   g. कॉल लेटर के साथ फोटो आईडी की फोटोकॉपी स्टेपल करके लाना होगा। सत्यापन के लिए मूल आईडी (फोटोकॉपी के समान) भी लानी होगी। आईडी और कॉल लेटर पर नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए।
   h. स्क्राइब अभ्यर्थियों के मामले में - स्क्राइब फॉर्म विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित तथा फोटोग्राफ चिपकाया हुआ।

   आयोजन स्थल के अंदर किसी अन्य वस्तु की अनुमति नहीं है।
   *अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पानी की बोतल स्वयं लेकर आएं।
3. अभ्यर्थी को अपना कोई भी निजी सामान/सामग्री किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए
4. अभ्यर्थियों को एक दूसरे के साथ सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए।
5. अभ्यर्थी को स्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पंक्ति में खड़ा होना चाहिए।
6. यदि अभ्यर्थी किसी स्क्राइब की सेवाएँ ले रहा है, तो स्क्राइब को भी अपने दस्ताने, N95 मास्क, सैनिटाइज़र (50ml) और पानी की बोतल साथ लानी होगी। मास्क पहनना अनिवार्य है। अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों को N95 मास्क पहनना ज़रूरी है।
7. अभ्यर्थी पंजीकरण:
   a. अभ्यर्थी का पंजीकरण फोटो कैप्चर के माध्यम से किया जाएगा।
   b. अभ्यर्थी का फोटोग्राफ खड़े होकर लिया जाएगा।
   c. अभ्यर्थी को सीट संख्या दी जाएगी।
8. रफ शीट, कॉल लेटर और आईडी प्रूफ प्रबंधन रफ शीट प्रत्येक अभ्यर्थी डेस्क पर रखी गई जिसका उपयोग अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार रफ शीट जमा करनी होगी।

13.5 कॉल पत्र :

सूचना पुस्तिका और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त फोटो (जैसा कि अभ्यर्थी ने कॉल लेटर पर चिपकाया है) भी साथ लाना होगा। । इन दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजों को परीक्षा के दौरान जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को "सूचना पुस्तिका और कॉल लेटर" में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। कॉल लेटर पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के बिना या एक अतिरिक्त फोटोग्राफ (कॉल लेटर पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के समान) के बिना रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपलोड की गई उसी तस्वीर की लगभग 8 प्रतियां अपने पास रखें क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी)।

परीक्षा के बाद नियंत्रण: शिफ्ट के पूरा होने पर, अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल के कर्मचारियों के निर्देशानुसार भीड़ लगाए बिना व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना चाहिए। (परीक्षा से संबंधित कुछ और निर्देश परीक्षा की निर्धारित तारीख के दौरान स्थिति के आधार पर जोड़े या संशोधित किए जा सकते हैं) ।

13.6 कदाचार/ अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :

अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी झूठा, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत विवरण प्रस्तुत न करें तथा **कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाएं।**

परीक्षा के समय या बाद की प्रक्रिया में, यदि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है) -

i. अनुचित साधनों का प्रयोग करना या
ii. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरुपण करना या प्रतिरुपण करवाना या
iii. परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षण की सामग्री या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रुप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुन: प्रस्तुत करना, प्रेषित करना, संग्रहीत करना या संचरण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना।
iv. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेना या
v. अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या
vi. परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर, ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के अलावा निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:
    a. उस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है
    b. बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रुप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना

महत्वपूर्ण: परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के जवाबों (उत्तरों) का विश्लेषण करेगी। यदि इस संबंध में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह अनुमान लगाया जाता है कि जवाब साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो ऐसे मामलों में बैंक संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) का परिणाम रोक दिया जाएगा।

13.7 मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर या ऐसे किसी भी उपकरण का उपयोग

i. **परीक्षा आयोजित किए जाने वाले परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर या कोई अन्य संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।**
ii. **अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती।**
iii. **अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर में कैलकुलेटर का उपयोग करने या उसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है।**

14. <u>आवेदन कैसे करें :</u>

i. **अभ्यर्थियों को वेबसाइट** www.bankofbaroda.co.in **के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/विधि स्वीकार नहीं की जाएगी।**

ii. **अभ्यर्थियों के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और संपर्क नंबर होना आवश्यक है।** इसे इस भर्ती परियोजना के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। बैंक पंजीकृत ईमेल आईडी पर चयन प्रक्रिया के लिए कॉल लेटर भेज सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले अपनी नई ईमेल आईडी बनानी चाहिए।

a) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देश:

i. अभ्यर्थियों को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in/Career.htm पर जाना चाहिए तथा बैंक की वेबसाइट पर करियर->वर्तमान अवसर पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से उपलब्ध उपयुक्त ऑनलाइन आवेदन प्रारुप में स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना चाहिए तथा डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए।
ii. अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता से संबंधित स्कैन की गई तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कृपया फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और दस्तावेजों को अपलोड करने के संबंध में अनुलग्नक I देखें।
iii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन स्वयं सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए किसी भी डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा/उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों को सत्यापित करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करें। **सबमिट** बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों को भरने/सावधानीपूर्वक सत्यापित करने और जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि वे सही हैं क्योंकि जमा करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं है।
iv. आवेदन में अभ्यर्थी का नाम सही-सही लिखा होना चाहिए, जैसा कि प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों में लिखा है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन होने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
v. किसी भी दृष्टि से अपूर्ण तथा असफल शुल्क भुगतान वाला ऑनलाइन आवेदन वैध नहीं माना जाएगा।
vi. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय जन्म तारीख प्रमाण, अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाणपत्र, अनुभव पत्र आदि जैसे सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
vii. अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें तथा अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट पर अत्यधिक लोड या वेबसाइट जाम होने के कारण वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/डिस्कनेक्ट होने की संभावना से बचा जा सके।
viii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपरोक्त कारणों से या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तारीख के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
ix. कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, जन्म तारीख, आवेदन किया गया पद , पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र, आदि को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद कोई परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन

पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के बारे में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत और अधूरे विवरण प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।

b) शुल्क का भुगतान:

i. शुल्क का भुगतान वहां उपलब्ध भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।
ii. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करने के बाद, अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद कोई परिवर्तन/संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
iii. भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जाएगा।
iv. लेनदेन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए डेटा के साथ ई-रसीद और आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी को प्रिंट करके अपने पास रखना होगा।
v. यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा **नहीं हुआ है** तो अभ्यर्थियों को **फिर से लॉगिन करने की सलाह दी जाती है** उन्हें अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा ।
vi. अभ्यर्थियों को ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि इसे जनरेट नहीं किया जा सकता है तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हो सकता है।

टिप्पणी:

- ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें, दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं
- क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।
- अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेनदेन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।
- बैंक उपरोक्त कारणों से या बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तारीख के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

c) सामान्य जानकारी:

i. पद के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह इस अधिसूचना में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। एक से अधिक आवेदनों के मामले में , केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन ही रखा जाएगा।
ii. सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जॉइनिंग/दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करें , ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता है। चयन के मामले में, अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय नियोक्ता से रिलीविंग लेटर और संबंधित अधिकारियों से मंजूरी, जहाँ भी लागू हो, प्रस्तुत करना होगा।
iii. अनंतिम रुप से आबंटित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की किसी अन्य आवश्यकता के अनुसार उनके चिकित्सकीय रुप से फिट घोषित होने तथा बैंक के सेवा एवं आचरण नियमों के अधीन होगी।
iv. यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।
v. पात्रता, ऑनलाइन परीक्षा , अन्य परीक्षाएं और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम होंगे और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी तरह के प्रतिनिधित्व या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
vi. जहां भी आवश्यक होगा, सूचनाएं वेबसाइट अधिसूचना और/या ईमेल और/एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएंगी ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आवेदन भेजा जाएगा। यदि मोबाइल नंबर, ईमेल पते में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य मामले में जानकारी/सूचना अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचती है, तो बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए अधिकृत बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर कड़ी नज़र रखें।
vii. इस विज्ञापन और/या इसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल मुम्बई में ही की जा सकेगी तथा किसी भी मामले/विवाद पर सुनवाई करने का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार केवल मुम्बई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरमों के पास ही होगा।
viii. किसी भी प्रकार का प्रचार या अनुचित लाभ के लिए प्रभाव पैदा करने पर प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
ix. प्रवेश की तारीख, समय और स्थान में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
x. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा सभी स्थानों पर किए गए हस्ताक्षर जैसे कि उसके कॉल लेटर, उपस्थिति पत्रक आदि में तथा भविष्य में बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में एक जैसे होने चाहिए तथा **उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए** ।
xi. **ऑनलाइन परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थिति दर्ज कराने पर उम्मीदवारी तुरंत अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।**

15. घोषणाएं

इस प्रक्रिया से संबंधित सभी आगे की घोषणाएं/ परिशिष्ट या शुद्धिपत्र (यदि कोई)/ विवरण केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर समय-समय पर **कैरियर अनुभाग/ वेब पेज के अंतर्गत** →करियर अवसर के अधीन प्रकाशित/ प्रदान किए जाएंगे। प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट न होने वाले/ चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों को कोई अलग से सूचना/ संदेश नहीं भेजा जाएगा। बैंक की वेबसाइट पर डाली गई सभी अधिसूचना/ संदेश को उक्त परियोजना के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचना के रूप में माना जाएगा।

अस्वीकरण : - चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया उल्लंघन के मामलों का पता चलने पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। **इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों के संबंध में बैंक के स्पष्टीकरण/ निर्णय अंतिम होंगे और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे।**

बैंक किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदन/ उम्मीदवारी को अस्वीकार करने या बैंक की आवश्यकता के अनुसार पद के लिए रिक्तियों को बढ़ाने/ घटाने या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मुंबई
02.05.2025

मुख्य महाप्रबंधक
(एचआरएम और मार्केटिंग)